

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, रंका।

अर्जेंट वाद सं० -27/2023


धारा- 144 द०प्र०स०

घुरबिगन सिंह बनाम राजेन्द्र सिंह

आदेश

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित																											
12/8/23	<p>अभिलेख उपस्थापित। यह वाद आवेदक के आवेदन पर धारा 144 द०प्र०स० की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है। भूमि का विवरण निम्नवत है :-</p> <table border="1" data-bbox="224 779 1328 1108"> <thead> <tr> <th rowspan="2">मौजा</th> <th rowspan="2">खाता सं०</th> <th rowspan="2">प्लॉट सं०</th> <th rowspan="2">रकबा</th> <th colspan="4">चौहदी</th> </tr> <tr> <th>उ०</th> <th>द०</th> <th>पु०</th> <th>प०</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">रोदो</td> <td>नया- 12</td> <td>नया- 1580</td> <td rowspan="2">0.67 ए०</td> <td rowspan="4">बिराजपुर सिवाना</td> <td rowspan="4">रोड</td> <td rowspan="4">द्वितीय पक्ष</td> <td rowspan="4">रोड बिराजपुर सिवाना</td> </tr> <tr> <td>पुराना- 27</td> <td>पुराना- 22</td> </tr> <tr> <td>नया- 77</td> <td>नया- 1581</td> <td rowspan="2">0.50 ए०</td> </tr> <tr> <td>पुराना- 33</td> <td>पुराना- 23</td> </tr> </tbody> </table> <p>प्रथम पक्षकार घुरबिगन सिंह पिता- स्व० राजवन सिंह, प्रेम सिंह पिता- घुरबिगन सिंह द्वारा प्रारम्भ किया गया है। जो कि दिनांक 15.06.2023 से लेकर 60 दिन पूर्ण होने तक अनुपस्थित रहे है। इनके ओर से कोई कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है।</p> <p>द्वितीय पक्षकार द्वारा कारण पृच्छा समर्पित किया गया है। अपने कारण पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि पुराना खाता सं०- 27 प्लॉट सं०- 22 रकबा- 0.67 ए० है। वह भूमि गोपी सिंह व अर्जून सिंह की खतियानी भूमि जिसका नया खाता सं०- 12 प्लॉट सं०- 1580 है। जिसका मांग पंजी 2 के पृष्ठ सं०- 12 पर चलता है। जिससे द्वितीय पक्ष का कोई सरोहकार नहीं है। यह कि वाद में वर्णित भूमि पुराना खाता सं०- 33 प्लॉट सं०- 23 रकबा- 0.50 ए० पर वाद में लाया गया है। जो कि द्वितीय पक्ष को भू-दान यज्ञ कमिटी से पुराना खाता सं०- 33 प्लॉट सं०- 23 रकबा- 0.50 ए० चौहदी उ०- सिवाना बिराजपुर, द०- पूरन सिंह, पु०- रामदेनी सिंह एवं प०- सिवाना बिराजपुर प्राप्त है। जिसका भू-दान पर्चा सं०- 9884 दिनांक 26.01.2012 है। जिसका मौजा रोदों के मांग पंजी</p>	मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	चौहदी				उ०	द०	पु०	प०	रोदो	नया- 12	नया- 1580	0.67 ए०	बिराजपुर सिवाना	रोड	द्वितीय पक्ष	रोड बिराजपुर सिवाना	पुराना- 27	पुराना- 22	नया- 77	नया- 1581	0.50 ए०	पुराना- 33	पुराना- 23	
मौजा	खाता सं०					प्लॉट सं०	रकबा	चौहदी																					
		उ०	द०	पु०	प०																								
रोदो	नया- 12	नया- 1580	0.67 ए०	बिराजपुर सिवाना	रोड	द्वितीय पक्ष	रोड बिराजपुर सिवाना																						
	पुराना- 27	पुराना- 22																											
	नया- 77	नया- 1581	0.50 ए०																										
	पुराना- 33	पुराना- 23																											

2 के पृष्ठ सं०- 146/2 पर चलता है तथा शांतिपूर्ण रूप से दखल कब्जा में द्वितीय पक्षकारगण चले आ रहे हैं। जिसका नया खाता सं०- 77 प्लॉट सं०- 1581 है जो हाल सर्वे में झारखण्ड सरकार के नामे खतियान बना है ना कि प्रथम पक्ष का है। अतः यह वाद खारीज करने योग्य है। यह स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा है। यह वाद धारा 144 द०प्र०स० की समयावधि 60 दिन पूर्ण हो गई है। इसलिए इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।


12-08-22
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
रंका।

नॉटिस सिविल
कांटे
पुणे